म.प्र. शासन वन विभाग

परियोजना का नाम – कारम तालाब परियोजना

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2017 – 18 से 2026 – 27
क्षेत्रफल – 9.2408 हे.

वन परिक्षैत्र – सरदारपुर
वनमण्डल धार (क्षैत्रीय)

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग – 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण
   - अ. परियोजना का नाम :– कारम तालाब परियोजना
   - ब. भारत सरकार का अनुमोदन क्रमांक दिनांक
   - स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण :– .... हे.
2. जिला :– धार
3. वनमंडल :– धार
4. परिक्षेत्र :– सरदारपुर
5. तहसील :– सरदारपुर
6. विकास खण्ड :– सरदारपुर
7. विधानसभा क्षेत्र :– सरदारपुर
8. ग्राम पंचायत :–
9. क्षेत्रिय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :– बदनावर
10. क्षेत्रिय परिसर (बीट) :– राजोद
11 परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम :– श्री अनिल हारोड, वनरक्षक
12 परिक्षेत्र सहायक का नाम :– श्री अंबाराम निगवाल

2/ 1. **योजना का उद्देष्य** – वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य

2. **क्षेत्रफल** – 9.2408 हेक्टेअर

3/ **उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण**

कट बैक का क्षेत्र – निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र – 9.2408 हेक्टेअर

संरक्षण का क्षेत्र – निरंक

लैण्टाना – निरंक

4/ **रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे** :– माही रोपणी सरदारपुर

5/ **रोपणी से रोपण स्थल की दूरी** :–

(ए) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा : 45 किमी.

(बी) सिरबोझ द्वारा : 5 किमी.

6/ **सिंचाई का विवरण**

(ए) जल स्त्रोत : नदी

(बी) वृक्षारोपण से दूरी : 800 मीटर

(सी) बिजली उपलब्धता : नहीं है

7/ <u>योजना की अवधि</u>

10 वर्ष (2017 – 18 से 2026 – 27 तक)

8/ 1. <u>योजना पर होने वाला संभावित व्यय</u> : रू. 36.85 लाख

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)

2. <u>प्रति हेक्टेअर व्यय</u> : रू. 3.99 लाख

....

उपवन मंडलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डल अधिकारी
धार (क्षेत्रीय) वन मण्डल धार, (म. प्र.)
निरीक्षण दिनांक

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 177 दिनांक 10-3-17 द्वारा जारी की गयी।

मुख्य वन संरक्षक
इन्दौर वन वृत्त, इन्दौर (म. प्र.)

उपवन मंडलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण कारम तालाब परियोजना

प्रस्तावना :– कारम तालाब निर्माण के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक .... एवं .... के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण 9.2408 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।

1. 9.2408 हे. क्षेत्र का सर्वे एवं सिमांकन कार्य किया जावेगा।
2. क्षेत्र को सिमेंटेड पोल एवं चेन लिंक फेसिंग द्वारा घेरा जावेगा, कुल लम्बाई 2000 र.मी. ।
3. क्षेत्र में 14785 गड्डे खोदे जावेंगे एवं उपजाउ मिट्टी एवं खाद गड्डो में पुर्ती कर पौधा रोपण कार्य किया जावेगा।
4. वृक्षारोपण क्षैत्र में सागोन, खेर, करंज, सिवन, महुआ, नीम आदि प्रजाति के पौधे रोपित किए जाएंगे।
5. सुरक्षा कार्य हेतु 1 सुरक्षा श्रमीक का पुरे वर्ष भर रखने का प्रावधान किया गया है।
6. प्रोजेक्ट वर्ष 2017 – 18 से 2026 – 27 तक की तैयार की गई है।

उपवन मंडलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

वैकल्पिक वृक्षारोपण (9.2408 है., कारम तालाब भाग 2)

1600 पौधे प्रति हैक्टर

क्षैत्र तैयारी (प्रथम वर्ष) 2017 – 18

मानव दिवस रू 289

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)					
1	भाग 2/1 सी.एफ जाब दर	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	9.2408 है.	0.45 प्रति हे.	4	1202
2	भाग 2/2 सी.एफ जाब दर	क्षेत्र सफाई की समस्त अनुपयोगी झाडिया (लेंटाना छोडकर) एवं खकरी कटाई (20 सेमी से नीचे) एकत्रित करना जलाना	9.2408 है.	4 प्रति हे.	36.9632	10682
		क्षेत्र सफाई 21–30 सेमी 15000	0 पौध	1.25 प्रति सैकडा	0	0
		क्षेत्र सफाई 31–45 सेमी 15000	0 पौध	2.4 प्रति सैकडा	0	0
		क्षेत्र सफाई 46–60 सेमी 10000	0 पौध	3.8 प्रति सैकडा	0	0
3	भाग 2/4 सी.एफ जाब दर	स्टेकिंग गड्ढे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं चुने से गड्ढे हेतु निशान लगाना				
		अंतराल 2X3 मीटर	14785 गडढे	2.5 प्रति हजार	36.9625	10682
4	भाग 2/5 सी.एफ जाब दर	गडढे खुदाई 45X45X45 से.मी.	14785 गडढे	5 प्रति मा.दि. प्रति सैकडा	739.25	213643
5	भाग 2/17 सी.एफ जाब दर	गढ्ढो में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित व मिट्टी बदलना (45X45X45 से.मी. के गढ्ढो में)	14785 गडढे	1.5 प्रति मा.दि. प्रति सैकडा	243.69952	64092.975
6	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण मजदूरी				
7	सी.एफ जाब दर	पथ निर्माण	1 कि.मी.	30 प्रति कि.मी.	30	8670
8	सी.एफ जाब दर	सुरक्षा श्रमिक	1x234 दिवस	289 प्रति मा.दि.	234	67626
				योग मजदूरी	1325	376597.98
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
9	बाजार दर 1200रूप्रति घ.मी.	गोबर खाद क्रय व परिवहन (गड्ढो की संख्या x(एक गड्ढे का आयतन 14785 का 10%) (14785x(.45x.45x.45x10%))	135 घ.मी.	1200 प्रति घ.मी.		162000
10	बाजार दर	14785 गड्ढे में डालने के लिये उपजाउ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन गढ्ढो का आयतन = 1347 घ.मी. का 10 प्रतिशत	135 घ.मी.	500 प्रति घ.मी.		67500
11	बाजार दर	नीम खल्ली 30 ग्राम प्रति गड्ढा का क्रय 55 रू प्रति कि.ग्रा.	445 कि.ग्रा.	- प्रति घ.मी.		24475
12	बाजार दर	पौधा क्रय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ	16265 पौधे	11 प्रति पौधा		178915
13	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण सामग्री				0
14	बाजार दर	गेट निर्माण	1 नग	एल.एस.		10000
15	बाजार दर	साईन बोर्ड	1 नग	एल.एस.		10000
16	एल.एस.	सिचाई कार्य हेतु पाईप क्रय				25000
17	बाजार दर	अन्य व्यय (चूना,रस्सी,स्टेशनरी आदि)				5512
		योग सामग्री			0	483402
		योग रोपण मूलक गतिविधियां (मजदूरी + सामग्री)			1325	859999.98

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षैत्राधिकारी
वन परिक्षैत्र सरदारपुर

फेंसिंग के साथ प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य का प्रस्तावित व्यय (2017 – 18)

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लघु उद्योग निगम	**चेनलिंक फेंसिंग** (1) पी.आर.सी.सी. पोल 2 मी. ऊचाई एवं 2.5 मी. दूरी पर (2000/2.5=800*10%=800+80= 880)	880 नग	296.3 प्रति नग	-	260700
		13 प्रतिशत वेट राशि				33891
2	लघु उद्योग निगम	(1) पांच पंक्ति में लगाने हेतु बारबेड वायर (2000X5=10000/7=1429 KG)	1429 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	128610
		5 प्रतिशत वेट राशि				6431
3	बाजार दर	(1) बारबेड को जोडने हेतु युनेल्स	125 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	11250
		13 प्रतिशत वेट राशि				1463
4	बाजार दर	(1) जी.आई. तार बारबेड को बांधने हेतु	50 कि.ग्रा.	100 प्रति कि.ग्रा.	-	5000
		13 प्रतिशत वेट राशि				650
5	सी.एफ.जाबदर	जी.आई. तार एवं यूनेल्स की मदद से बारबेड वायर को बांधना एवं विविध कार्य मजदूरी	2000 र.मी.	0.16 प्रति र.मी.	351.635	92480
6	भाग2/ सी.एफ. जाबदर	फेंसिंग पोल हेतु गड्डे खुदाई कार्य (0.30X0.30X0.45CM)	880 नग	2.5 मा.दि.प्रति सौ	22	6358
7	PWD SOR	1:3:6 सीमेंट कंक्रीट मसाले में पोल्स लगाने हेतु कंक्रीट मसाला (880X0.30X0.30X0.45CM)=35.64 (880X0.30X0.10X0.10CM)=2.64 35.64 - 2.64 = 33 Sqm	33 घ.मी.	3643 प्रति घं.मी.	-	120219
8		पोल लगवाई कार्य	880 नग	अनुमानित 80 रू. प्रति नग		70400
				योग :–	21	737452

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रू 318

द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य) (2018 – 19)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)					
1	सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (निजी वाहन से 45 किमी दूरी तक	16265 पौधा	170 प्रति सैकडा		27650.5
2	भाग 3/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचना समस्त साईज की दूरी 2 किमी तक)	14785 पौधा	0.4 मा.दि.प्रति सैकडा	59	18807
3	भाग 3/5 सी.एफ जाब दर	पौधा रोपण 45X45X45 से.मी. गड्ढों में रोपण	14785 पौधे	1.8 मा.दि.प्रति सैकडा	266.13	84629.3
		निंदाई कार्य				
4	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निंदाई गुडाई थाला दुरूस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना				
		प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	14785 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकडा	184.8	58770
		द्वितीय निंदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	14785 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकडा	147.85	47016.3
5	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिडकाव	14785 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकडा	89	28209.8
6	सी.एफ जाब दर	सिचांई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक– निंदाई गुडाई,सफाई कार्यो एवं क्षेत्र पथरीला,हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	66144
7		अग्नि सुरक्षा 3 मीटर चोडी कटाई सफाई	5000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रतिKM	11	3577.5
8	एल एस	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक	312	318 मा.दि.	312	99216
		योग मजदूरी			1278	434021
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
9	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./युरिया) एवं कीटनाशक खरीदी – (20 ग्राम डी.ए.पी.+20 ग्राम युरिया+10 गाम कीटनाशक प्रति पौधा	740 कि.ग्रा.	24 रू.प्रति कि.		17760
10	एल एस	डिजल व्यय				15000
9	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				8219
		योग सामग्री			0	40979
		महा योग (मजदूरी + सामग्री) :–			1278	475000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट — 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रू 350

तृतीय वर्ष (रखरखाव का प्रथम वर्ष 2019 — 20)

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)					
1	एल एस	फेंसिग मरम्मत	9.2408 हे.	2 मा.दि.प्रति हे.	18.4816	6468.56
2	बाजार दर	पौधा क्रय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ	1480 पौधे	15 प्रति पौधा		22200
3		पौधा परिवहन वाहन द्वारा	1480 पौधे	170 प्रति सैकडा		2516
4	भाग 8/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचना समस्त साईज की दूरी 2 किमी तक)10%केजुअलिटी	1480 पौधे	0.4 मा.दि.प्रति सैकडा	6	2072
5	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निंदाई गुडाई थाला दुरूस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना				
		प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	14785 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकडा	184.813	64684.4
		द्वितीय निंदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	14785 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकडा	147.85	51747.5
6	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिडकाव	14785 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकडा	89	31049
7	सी.एफ जाब दर	सिचांई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक– निंदाई गुडाई,सफाई कार्यो एवं क्षेत्र पथरीला,हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिचांई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	72800
8	एल एस	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक	312	350 मा.दि.	312	109200
9		अग्नि सुरक्षा 3 मीटर चोडी कटाई सफाई	5000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रतिKM	11	3937.5
		योग मजदूरी			977	366675
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
10	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./युरिया) एवं कीटनाशक खरीदी — (20 ग्राम डी.ए.पी.+20 ग्राम युरिया+10 गाम कीटनाशक प्रति पौधा =	740 कि.गा.	24 प्रति कि.ग्रा.		17760
11	बाजार दर	डिजल व्यय				15000
12	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5565
		योग सामग्री			0	38325
		महा योग (मजदूरी + सामग्री) :–			977	405000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

चतुर्थ वर्ष (रखरखाव का द्वितीय वर्ष 2020 – 21)

मानव दिवस रू 385

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)					
1	सी.एफ जाब दर	सिचांई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक– निंदाई गुडाई,सफाई कार्यों एवं क्षेत्र पथरीला,हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	80080
2	एल एस	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक	312	385 प्रति दिवस	312	120120
		योग मजदूरी			**520**	**200200**
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
3	एल एस	डिजल व्यय				20000
4	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1800
		योग सामग्री				1800
					0	**21800**
		महा योग (मजदूरी + सामग्री) :–			**520**	**222000**

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

पंचम वर्ष (रखरखाव का तृतीय वर्ष 2021 – 22)

मानव दिवस रू 424

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री			**0**	**5000**

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रू 466

षष्टम वर्ष (रखरखाव का चतुर्थ वष 2022 – 23)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री				5000

परिशिष्ट – 1

1400 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रू 513

सप्तम वर्ष (रखरखाव का पंचम वर्ष 2023 – 24)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री			0	5000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

अष्टम वर्ष (रखरखाव का छटवा वर्ष 2024 – 25)

मानव दिवस रू 564

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री			**0**	**5000**

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

नवम वर्ष (रखरखाव का सातवा वर्ष 2025 –26)

मानव दिवस रू 620

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री			**0**	**5000**

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षैत्राधिकारी
वन परिक्षैत्र सरदारपुर

परिशिष्ट – 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रू 682

दशम वर्ष (रखरखाव का आठवा वर्ष 2026 – 27)

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
1	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				5000
		योग सामग्री			**0**	**5000**

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षैत्राधिकारी
वन परिक्षैत्र सरदारपुर

गोशवारा

	वर्ष	राशि रू.
	प्रथम वर्ष – क्षेत्र तैयारी	1597452
	द्वितीय वर्ष – रोपण	475000
	तृतीय वर्ष – रखरखाव का प्रथम वर्ष	405000
	चतुर्थ वर्ष – रखरखाव का द्वितीय वर्ष	222000
	पंचम वर्ष – रखरखाव का तृतीय वर्ष	5000
	षष्टम वर्ष – रखरखाव का चतुर्थ वर्ष	5000
	सप्तम वर्ष – रखरखाव का पंचम वर्ष	5000
	अष्ठम वर्ष – रखरखाव का छटवा वर्ष	5000
	नवम वर्ष – रखरखाव का सातवा वर्ष	5000
	दशम वर्ष – रखरखाव का आठवा वर्ष	5000
	योग	2729452
1	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन (20 प्रतिशत)	**545890**
2	आस्था मूलक (12 प्रतिशत)	**327534**
3	मानव संसाधन (3 प्रतिशत)	**81884**
	महायोग	**3684760**

उपवनमंडलाधिकारी
क्षेत्रीय उपवनमंडल सरदारपुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
सरदारपुर

वनमंडलाधिकारी
क्षैत्रीय वनमंडल धार

Compensatory Afforestation Map-I
(Georeferenced Map)
Project - Karam Medium Project
Proposal No. : FP/MP/IRRIG/20856/2016

District - Dhar
Tehsil - Sardarpur
Village - Salwa
Area : 9.2408 Ha.

N W E S

1:4,000

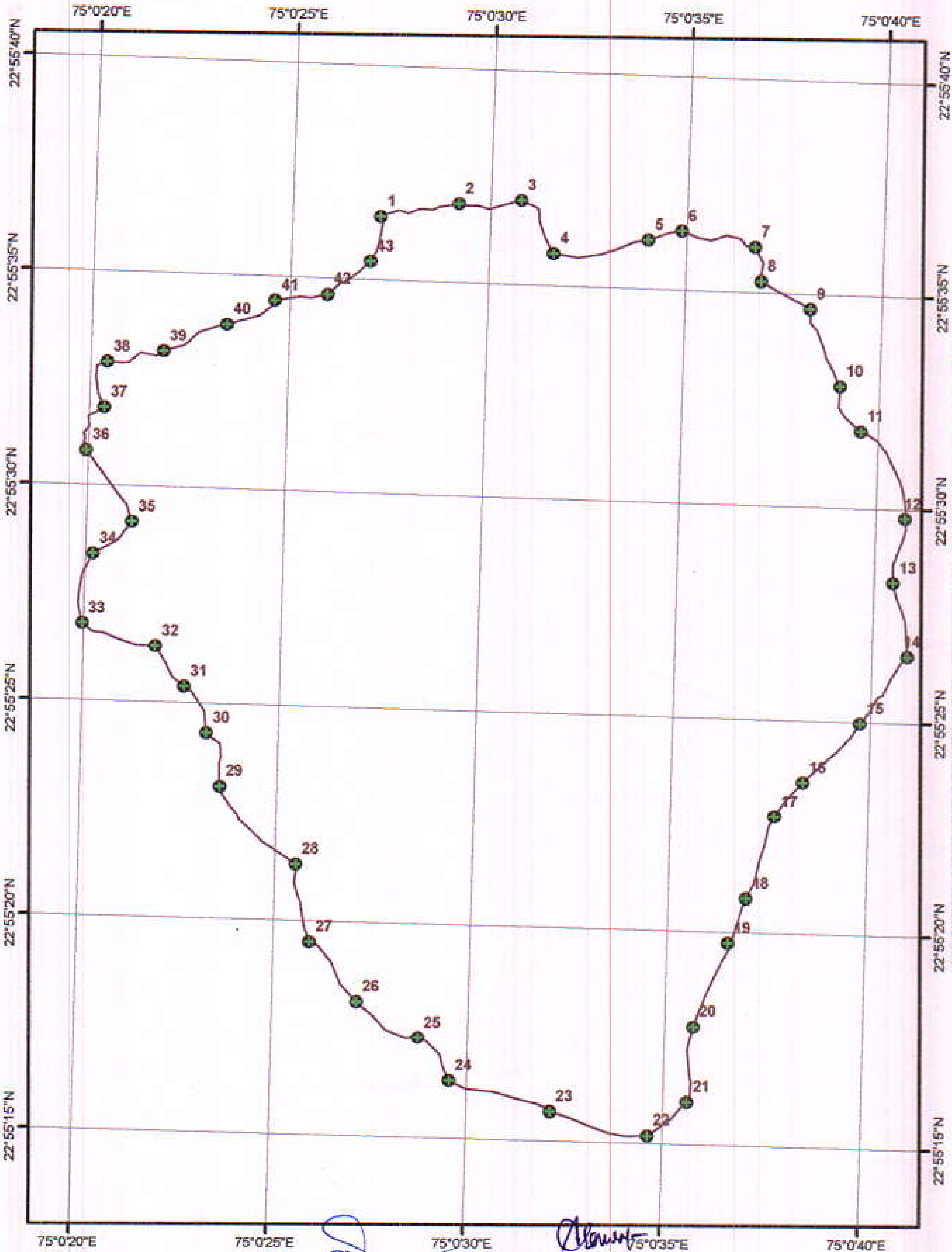

Coordinate Details

Point	X	Y
1	22°55'36.450"N	75°0'27.663"E
2	22°55'36.809"N	75°0'29.638"E
3	22°55'36.945"N	75°0'32.229"E
4	22°55'35.733"N	75°0'32.082"E
5	22°55'36.124"N	75°0'34.473"E
6	22°55'36.359"N	75°0'35.335"E
7	22°55'36.041"N	75°0'37.189"E
8	22°55'35.157"N	75°0'37.358"E
9	22°55'34.650"N	75°0'38.627"E
10	22°55'32.845"N	75°0'39.440"E
11	22°55'31.797"N	75°0'40.005"E
12	22°55'29.786"N	75°0'41.385"E
13	22°55'28.290"N	75°0'40.923"E
14	22°55'26.546"N	75°0'41.340"E
15	22°55'24.881"N	75°0'40.188"E
16	22°55'23.550"N	75°0'38.775"E
17	22°55'22.745"N	75°0'38.083"E
18	22°55'20.788"N	75°0'37.406"E
19	22°55'19.751"N	75°0'36.975"E
20	22°55'17.757"N	75°0'36.161"E
21	22°55'15.564"N	75°0'36.044"E
22	22°55'15.186"N	75°0'35.059"E
23	22°55'15.666"N	75°0'32.575"E
24	22°55'16.516"N	75°0'29.997"E
25	22°55'17.527"N	75°0'29.178"E
26	22°55'18.138"N	75°0'27.600"E
27	22°55'19.530"N	75°0'26.375"E
28	22°55'21.505"N	75°0'25.978"E
29	22°55'23.077"N	75°0'23.993"E
30	22°55'24.316"N	75°0'23.626"E
31	22°55'25.367"N	75°0'23.030"E
32	22°55'26.290"N	75°0'22.271"E
33	22°55'26.774"N	75°0'20.401"E
34	22°55'28.405"N	75°0'20.642"E
35	22°55'29.165"N	75°0'21.593"E
36	22°55'30.792"N	75°0'20.385"E
37	22°55'31.805"N	75°0'20.815"E
38	22°55'32.864"N	75°0'20.856"E
39	22°55'33.155"N	75°0'22.275"E
40	22°55'33.837"N	75°0'23.864"E
41	22°55'34.648"N	75°0'25.058"E
42	22°55'34.617"N	75°0'26.578"E
43	22°55'35.605"N	75°0'27.441"E

Legend
Geo Reference Points
Khasra Details

उपवन मंडलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश

क्रमांक / मा.चि. / 2017 / 177 इन्दौर दिनांक 10-3-17

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 में	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अवधि
धार	सरदारपुर	कारम मध्यम सिचाई परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त गैरवन भूमि की वेकल्पिक वृक्षारोपण योजना	ग्राम-सलवा	9.240	36.84	2017-18 से 2026-27
		योग	—	9.240	36.84	—

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।

2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।

3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।

4 वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यो का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेंगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यो के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

1 6 MAR 2017

12K300VII

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावे। उपरोक्त दो कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरात ही भू एव जल सरक्षण का कार्य किया जावे। भू एव जल सरक्षण के कार्य नालो के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावे चयनित नालो को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अ नालो का चयन किया जावे।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अतर्गत निर्धारित कक्ष मे किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही व उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एव पुताई की जावे तथा मुनारा संख्या व निर्देश पे के माध्यम से अंकित किये जावे।

19 खाद / निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एव परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावे। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावे। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावे। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाऊ मिट्टी प्राप्त की जावे।

20 पौधे अनुसधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावे।

(पुरषोत्तम धीमान)
मुख्य वन संरक्षक एव
पदेन वन सरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ क्र / मा चि / 2017 / 1480 इन्दौर, दिनांक : 10-3-17

प्रतिलिपि —

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार की ओर उनके पत्र क्रमांक / मा.चि / 2017 / 1403 दिनाक 06.03.2017 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न प्रेषित है। व्यय मे पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ–साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता / असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

सलग्न :— उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक मे

मुख्य वन संरक्षक एव
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

न्यायालय, कलेक्टर, जिला–धार (म.प्र.)

प्र. क्र. 192/अ–19(3)/2015–16

म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग,
तर्फे कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग
क्रमांक 01 धार

....आवेदक

आदेश

(दिनांक 07/09/2016 को पारित एंव घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार द्वारा पत्र क्रमांक 2149/कार्य/2016, धार दिनांक 16.06.2016 अनुसार म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा निम्नानुसार सिंचाई योजना स्वीकृत है। स्वीकृत योजनाओ में से निम्न योजनाओ में उसके नाम के सम्मुख वन भूमि (हैक्टेयर में) प्रभावित हो रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रभावित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	चुनार तालाब	सरदारपुर	95.387	चुनार,अम्बेडी एवं दुमाला तालाब योजना हेतु पूर्व में जबलपुर में भूमि चिन्हित की गई थी,परन्तु वह भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं होने से धार जिले में भूमि का चयन किया जाना है।
2	अम्बेडी तालाब	सरदारपुर	4.976	
3	दुमाला तालाब	बदनावर	12.380	
4	मानगढ़ तालाब	सरदारपुर	33.091	
5	कारम मध्यम परियोजना	धरमपुरी	119.250	
	कुल रकबा		265.084	

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर द्वारा उप वन मण्डलाधिकारी सरदारपुर को संबोधित ज्ञाप क्रमांक 2359/ रीडर–1/2015 दिनांक 12.08.2015 से भूमि बैंक अनुसार ग्राम सलवा/खाकरियाघाट में 381.493 हैक्टेयर,ग्राम जोलाना में 263.388 हैक्टेयर, ग्राम बोडिया में 236.245 हैक्टेयर, ग्राम देदला में 563.765 हैक्टेयर, ग्राम चोंदली में 66.00 हैक्टेयर, तथा ग्राम लाबरिया में 101.951 हैक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध है। उक्त योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व भूमि का राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर हस्तातरण हेतु निवेदन किया गया।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार सरदारपुर को आदेशिका दिनांक 16.06.2016 से जांच कर प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। तहसीलदार सरदारपुर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सरदारपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2016 को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.1 धार एवं तहसीलदार सरदारपुर की संयुक्त बैठक मे बताया गया की ग्राम सलवा एवं उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 381.493 हेक्टर मजरे टोले निर्मित होने पर ग्राम सलवा एवं खाकरियाघाट में सम्मिलित हुई है। इस कारण ग्राम सलवा एवं खाकरियाघाट की प्रभावित होने वाली भूमि के खसरा क्रमांक क्षेत्रफल की योजना एवं तालिकावार जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसीलदार द्वारा जल संसाधन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल निरिक्षण कर मौका पंचनामा सहित प्रतिवेदन आदेशिका दिनांक 02.09.2016 से प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 03.09.2016 से आवेदित भूमि 265. 084 हेक्टर वन विभाग को हस्तांतरित करने अनुशंसा की गई।

1– आवेदित भूमि की खसरा नक्शा ट्रेस की प्रति प्रकरण के संलग्न प्रकरण है।

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

2– हस्तांतरित की जाने वाली ग्राम सलवा/खाकरीयाघाट की निम्न शासकीय भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं भूमियों के वृक्षारोपण के उपयुक्तता के संबंध में उपवन मंडलाधिकारी वन मंडल सरदारपुर, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप खण्ड क्र.1 सरदारपुर उप खण्ड बदनावर, वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र सरदारपुर, राजस्व निरीक्षक वृत–1 बरमंडल तहसील सरदारपुर, सरपंच ग्राम पंचायत सलवा, हल्का पटवारी मौजा सलवा/खाकरियाघाट ग्राम कोटवार एवं ग्राम के स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। उपर्युक्त पांचो योजनाओं में प्रभावित भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तातरित किये जाने का पृथक–पृथक मौका पंचनामा दिनांक 06.07.2016 का तैयार किये गये। जो प्रकरण के संलग्न है। जिसमें वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होकर वन विभाग को हस्तांतरण के लिऐ सहमत होना बताया है।

3– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अन्तर्गत नोईयत परिवर्तन एवं भूमि आवंटन के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई नियत समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई।

4– आवेदित ग्राम खाकरियाघाट का शामील जोत का रकबा 86.928 हैक्टेयर है, निस्तार चरनोई का क्षेत्रफल 65.232 हैक्टेयर है, उसके विरूद्ध चरनोई प्रयोजन के लिये 2 प्रतिशत क्षेत्रफल 1.738 हैक्टेयर सुरक्षित है। चरनोई क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 12.680 हैक्टेयर है। ग्राम के खाकरियाघाट की चयनित भूमि आवंटित किये जाने पर चरनोई के लिये क्षेत्रफल 60.814 हैक्टेयर शेष रहेगा, जो दो प्रतिशत सुरक्षित चरनोई क्षेत्रफल अतिशेष है।

इसी प्रकार ग्राम सलवा का शामील जोत का रकबा 605.269 हैक्टेयर है, निस्तार चरनोई का क्षेत्रफल 102.594 हैक्टेयर है, उसके विरूद्ध चरनोई प्रयोजन के लिये 2 प्रतिशत क्षेत्रफल 12.105 हैक्टेयर सुरक्षित है। चरनोई क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 49.329 हैक्टेयर है। ग्राम के सलवा की चयनित भूमि आवंटित किये जाने पर चरनोई के लिये क्षेत्रफल 41.160 हैक्टेयर शेष रहेगा, जो दो प्रतिशत सुरक्षित चरनोंई क्षेत्रफल अतिशेष है।

5– चयनित भूमि आवंटन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 (1), (2), (3), (4) में उल्लेखित बिन्दु अनुसार जानकारी निम्नानुसार है।

(1) हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी सामुदायिक प्रयोजन के लिये रक्षित नही है।

(2) राज्य शासन के अंतर्गत हंस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिये रक्षित नही है।

(3) वन विभाग को राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि देने से ग्रामवासियों की निस्तार संबंधी आवश्यकताओं का पूरा–पूरा ध्यान रखा गया है तथा किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पड़ेगा।

(4) प्रस्तावित अंतरण से निस्तार भूमि के प्रभावित होने की संभावना नही है।

6– चयनित स्थल का, स्थल निरीक्षण कर मय मौका पंचनामा, प्रतिवेदन प्रकरण के संलग्न है।

7– स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार चयनित भूमि आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक कठिनाई नही आना प्रतिवेदित किया है।

8– चयनित भूमि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में उल्लेखित प्रावधानो, नियमों के अन्तर्गत हस्तातरित की जा सकती है। ग्राम सलवा एवं ग्रमा खाकरियाघाट की शासकीय राजस्व भूमि, वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु खसरा नम्बर, रकबा आदि का विवरण तालिका अनुसार निम्नानुसार हस्तांतरित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है :–

-:: तालिका ::-

क्र0	योजना का नाम	प्रभावित रकबा	पुराना सर्वे क्रमांक (2014–15)	नवीन सर्वे क्रमांक (2015–16)	कुल रकबा (हैक्टर)	ग्राम का नाम	प्रस्तावित/वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर)	मद
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	चुनार तालाब सरदारपुर	95.387	65 पैकि	76 पैकि	35.913	खाकरीया घाट	10.438	बर्डी
			129 पैकि	153 पैकि	38.788	खाकरीया घाट	37.500	बर्डी
			145 पैकि	169 पैकि	76.783	खाकरीया घाट	47.449	बर्डी
	योग :–				151.484		95.387	
2	अम्बेडी तालाब सरदारपुर	4.976	65 पैकि	76 पैकि	25.475	खाकरीया घाट	4.976	बर्डी
	योग :–				25.475		4.976	
3	दुमाला तालाब बदनावर	12.380	205/1 पैकि	65 पैकि	65.693	सलवा	6.958	चरनोई निस्तार
			218 पैकि	13 पैकि	22.576	सलवा	1.500	बर्डी
			700 पैकि	75 पैकि	20.695	सलवा	3.922	बर्डी
	योग :–				108.964		12.380	
4	मानगढ़ तालाब सरदारपुर	33.091	205/1 पैकि	65 पैकि	58.735	सलवा	3.231	चरनोई निस्तार
			218 पैकि	13 पैकि	21.076	सलवा	10.276	बर्डी
			700 पैकि	75 पैकि	16.773	सलवा	4.964	बर्डी
			योग		96.854		18.471	
			271 पैकि	240 पैकि	21.500	खाकरीया घाट	1.940	बर्डी
			387 पैकि	378 पैकि	28.899	खाकरीया घाट	12.680	चरनोई निस्तार
			योग		50.399		14.620	
	महायोग :– (सलवा+खाकरीयाघाट)				146.983		33.091	
5	कारम	119.250	28	34	13.911	खाकरीया घाट	13.911	बर्डी

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

	मध्यम परियोजना धरमपुरी		35 पैकि	41 पैकि	14.331	खाकरीया घाट	10.260	बर्डी
			65 पैकि	76 पैकि	20.499	खाकरीया घाट	15.469	बर्डी
			योग		48.741		39.640	
			162	19	0.136	सलवा	0.136	बीड चरनोई
			173	26	0.669	सलवा	0.669	का.का.
			174	27	0.136	सलवा	0.136	का.का.
			175	28	0.251	सलवा	0.251	का.का.
			176	29	0.313	सलवा	0.313	का.का.
			177	30	0.136	सलवा	0.136	का.का.
			178	31	0.094	सलवा	0.094	का.का.
			179	32	0.031	सलवा	0.031	का.का.
			180	33	0.042	सलवा	0.042	का.का.
			184	37	0.157	सलवा	0.157	का.का.
			185	38	0.073	सलवा	0.073	का.का.
			186	46	0.136	सलवा	0.136	का.का.
			191 पैकि	51 पैकि	41.810	सलवा	26.482	बर्डी
			205/1 पैकि	65 पैकि	55.504	सलवा	39.004	चरनोई निस्तार
			205/3 पैकि	66 पैकि	7.359	सलवा	6.359	का0का0
			210	8	0.209	सलवा	0.209	का.का.
			218 पैकि	13 पैकि	10.800	सलवा	3.177	बर्डी
			701	76	1.463	सलवा	1.463	का.का.
			702	77	0.230	सलवा	0.230	का.का.
			703	78	0.261	सलवा	0.261	का.का.
			704	79	0.251	सलवा	0.251	का.का.
			योग		120.061		79.61	
महायोग :- (खाकरीयाघाट+सलवा)					168.802		119.250	
ग्राम, खाकरियाघाट का कुल योग							154.623	
ग्राम, सलवा का कुल योग							110.461	
कुल आवंटन योग्य भूमि(ग्राम खकरीयाघाट+सलवा)							265.084	

5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सरदारपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 03.09.2016 द्वारा
तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम सलवा एवं ग्राम खाकरियाघाट तहसील सरदारपुर स्थित
प्रश्नाधीन शासकीय भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 में उल्लेखित
प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

6. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल धार द्वारा ज्ञाप क्रमांक मा.चि./2016/3873-74
धार दिनांक 03.08.2016 से उक्त सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 265.
084 हैक्टेयर के समतुल्य राजस्व विभाग की शासकीय भूमि ग्राम सलवा (जो कि, नये मजरे टोले के
ग्राम बनाने पर ग्राम सलवा एवं ग्राम खाकरियाघाट) की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना पाई जाकर, वन विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, तो वन
विभाग के कार्यालय को आपत्ति नहीं होने का अभिमत, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1
धार को देते हुवे, प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। साथ ही वन विभाग को आवंटित की जाने वाली
प्रश्नाधीन भूमि को राजस्व अभिलेखो में लाल स्याही से अंकित करवाते हुऐ खसरावार, मानचित्र,
आवश्यक प्रमाण-पत्र, तहसीलदार से प्राप्त करने व आवंटन आदेश उपरांत मौका स्थल पर शासकीय
राजस्व भूमि का प्रभार वनपरिक्षेत्राधिकारी को सौपने की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु लेख किया है।

7. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8073/रीडर/16 धार दिनांक 11.07.16 से जल संसाधन
विभाग, जिला धार की प्रस्तावित/निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं से प्रभावित वन भुमि के बदले राजस्व
भुमि के हस्तांतरण हेतु प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये अपर कलेक्टर,राजस्व जिला धार की
अध्यक्षता में वनमण्डलाधिकारी,जिला धार, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, धार/मनावर, योजना से
संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं जल संसाधन बदनावर/सरदारपुर/धामनोद/
मनावर/कुक्षी/बाग जिला धार,अनुविभागीय अधिकारी (वन) धार/सरदारपुर, जिला धार की
अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 23.08.2016 को
आयोजित की गई। उक्त बैठक में (1) कार्यपालन यंत्री जल जल संसाधन क्र.1 धार (2)
वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल धार (3) अपर कलेक्टर(राजस्व) जिला धार (4) अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व सरदारपुर (5) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड सरदारपुर/धामनोद/बदनावर
सम्मिलित हुवें, जिसमें आवेदित शासकीय राजस्व भुमि क्षेत्रफल 265.084 हैक्टेयर वन विभाग को
वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई। दिनांक 30.08.2016 को अपर कलेक्टर की
अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवेदित भुमि 265.084 हैक्टेयर सलवा एवं उसके निर्मित
मजरे टोले के ग्राम खाकरियाघाट के पुराने एवं नये सर्वे नम्बरवार तालिका के प्रतिवेदन प्रेषित करने
हेतु निर्देशित किया गया। तद्नुसार प्रतिवेदन तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सरदारपुर द्वारा अनुशंसा आदेशिका दिनांक 02 एवं 03.09.16 सहित अपर कलेक्टर को प्रेषित किया
गया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पत्रिका का परीक्षण कर आदेशिका दिनांक 07.09.16 से आवेदित
शासकीय भुमि वन विभाग द्वारा वन मंडलाधिकारी, जिला धार को हस्तातरित करने की अनुशंसा की
गई।

8. अतः तहसीलदार सरदारपुर के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सरदारपुर एवं अपर कलेक्टर,राजस्व जिला धार की अध्यक्षता में प्रस्तावित/निर्माणाधीन सिंचाई
योजनाओं से प्रभावित वन भुमि के बदले राजस्व भुमि के हस्तांतरण हेतु प्रकरणों के त्वरित निराकरण
के लिये गठित अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 23.08.2016 के आधार पर
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अंतर्गत ग्राम खाकरियाघाट की भूमि खसरा
क्रमांक (पुराना 387) नया 378 पैकी क्षेत्रफल 12.680 हेक्टर नोईयत चरनोई मे से तथा ग्राम सलवा की
शासकीय भूमि खसरा क्रमांक (पुराना 205/1) नया 65 पैकि क्षेत्रफल 49.193 हैक्टेयर, नोईयत निसार
चरनोई में से तथा खसरा क्रमांक(पुराना 173) नया 26 क्षेत्रफल 0.669 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक(पुराना
174) नया 27 क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक(पुराना 175) नया 28 क्षेत्रफल 0.251 हैक्टेयर,
खसरा क्रमांक (पुराना 176) नया 29 क्षेत्रफल 0.313 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 177) नया 30
क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना178) नया 31 क्षेत्रफल 0.094 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक
(पुराना 179) नया 32 क्षेत्रफल 0.031 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 180) नया 33 क्षेत्रफल 0.0[illegible]2

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना184) नया 37 क्षेत्रफल 0.157 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 185) नया 38 क्षेत्रफल 0.073 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 186) नया 46 क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 210) नया 8 क्षेत्रफल 0.209 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 701) नया 76 क्षेत्रफल 1.463 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 702) नया 77 क्षेत्रफल 0.230 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 703) नया 78 क्षेत्रफल 0.261 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक (पुराना 704) नया 79 क्षेत्रफल 0.251 हैक्टेयर खसरा क्रमांक (पुराना 205/3) नया 66 पैकि क्षेत्रफल 6.359 हैक्टेयर की नोईयत काबिल काश्त में से एवं खसरा क्रमांक (पुराना162) नया 19 क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर नोईयत बीड़ चरनोई में से कम की जाकर,नोईयत पड़त कदीम घोषित की जाकर चुनार तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 3 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम खाकरियाघाट की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 95.387 हैक्टेयर, अम्बेड़ी तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 1 के कालम क्रमांक 8 के अनुसार ग्राम खाकरियाघाट क्षेत्रफल 4.976 हैक्टेयर, मानगढ़ तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 5 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम सलवा का क्षेत्रफल 18.471 हैक्टर एवं ग्राम खाकरियाघाट के कुल सर्वे नम्बर संख्या 2 क्षेत्रफल 14.620 हेक्टर दोनो ग्रामों का कुल क्षेत्रफल 33.091 हैक्टेयर दुमाला तालाब बदनावर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुरान एवं नया संख्या 3 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम सलवा की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 12.380 हैक्टेयर, एवं कारम मध्यम परियोजना धरमपुरी हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा संख्या 24 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम खाकरियाघाट एवं सलवा की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 39.640 एवं ग्राम सलवा क्षेत्रफल 79.610 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 119.250 हेक्टर इस प्रकार ग्राम खाकरियाघाट की भूमि क्षेत्रफल 154.623 हैक्टेयर एवं ग्राम सलवा की भूमि क्षेत्रफल 110.461 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 29 क्षेत्रफल 265.084 हैक्टेयर की शासकीय राजस्व भूमि म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वनमण्डलाधिकारी,वनमण्डल, जिला धार को वृक्षारोपण हेतु म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कण्डिका 5 के अंतर्गत निम्न शर्तो तथा प्रतिबंधनो के अधीन हस्तांतरित की जाती है :-

(1) तहसीलदार सरदारपुर उक्त भूमि का आधिपत्य वन मंडलाधिकारी, वन मंडल जिला धार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सोंपकर मौका पंचनामा, कब्जा रसीद, मूल अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं राजस्व अभिलेख मे तदनुसार संशोधन किया जाय।

(2) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार वन विभाग की चिन्हित स्थान की भूमि क्षेत्रफल 265.084 हैक्टेयर पर तालाब निर्माण आगामी 05 वर्षो में नही करते है तो प्रश्नाधीन भूमि वापस राजस्व विभाग की शासकीय भूमि घोषित कर राजस्व भू-अभिलेख मे तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

07/09/16

(श्रीमन् शुक्ला)
कलेक्टर,
जिला-धार म.प्र.

पृ.क्र. 736 /रीडर-1/2016 धार, दिनांक 07/09/16

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त,इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मंडलाधिकारी वन मंडल जिला धार।
5. अपर कलेक्टर (राजस्व) जिला धार की ओर सूचनार्थ।

6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की ओर उपरोक्त आदेशानुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही समयावधि में सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

7. अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी–मनावर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. तहसीलदार, तहसील, सरदारपुर की ओर प्रकरण पत्रिका सहित उपरोक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने व शासकीय भू-अभिलेख कागजात खसरा, नक्शा में अमल–दरामद करावें। मूल कब्जा रसीद खसरा नक्षा की एक–एक प्रति प्रकरण के संलग्न की जाकर प्रकरण अविलम्ब वापिस लौटावें।

9. तहसीलदार तहसील बदनावर/धरमपुरी जिला धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नः– प्रकरण क्रमांक 192/2015–16/अ–19(3)
अनु. 8 के लिये ।

कलेक्टर,
जिला–धार म.प्र.

T/S – (I) copy to all SDO
(II) keep in record of each scheme file.
12/5/16